

पत्र संख्या: 1/एल0टी0 -1007/2024-सा0प्र0- 8018 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा
के सभी पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 21, मई, 2024

विषय:- रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा (एल टी सी/ एच टी सी) के उपभोग के
निमित्त आवेदन-प्रपत्र का निर्धारण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य में सेवारत
अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों द्वारा रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा
(एल टी सी/ एच टी सी) के उपभोग हेतु एक पृथक आवेदन-पत्र का निर्धारण किया
गया है। सुलभ प्रसंगवश आलोच्य विहित प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

2. अतः अनुरोध है कि रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा के उपभोग हेतु संलग्न
प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल0टी0 -1007/2024-सा0प्र0-.....8018/पटना-15, दिनांक 21/05/24

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन
विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को विषयगत आवेदन-प्रपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा (L.T.C/H.T.C) की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के संदर्भ में)

1. सरकारी सेवक का नाम —
2. सेवा का नाम एवं बैच —
3. पदनाम —
4. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि —
5. वर्तमान वेतन —
6. अस्थायी या स्थायी —
7. क्या पति/पत्नी नौकरी में हैं या नहीं। यदि है,
तो क्या L.T.C. की सुविधा देय है तथा उनके
द्वारा आवेदित ब्लॉक में कब-कब L.T.C. का
उपभोग अपनी कैपेसिटी में किया गया है —
8. एच.टी.सी. के लिए घोषित गृह नगर —
9. प्रस्तावित/उपभोगित एल.टी.सी. का विवरण
 - (क) एल.टी.सी. के तहत आवेदित सुविधा
गृह नगर अथवा देश भ्रमण के लिए है
(दोनों में से किसी एक के लिए एक दर्शनीय
स्थल का नाम अंकित किया जाए) —
 - (ख) किस ब्लॉक वर्ष के किस खंड वर्ष के लिए
है —
 - (ग) प्रस्तावित ब्लॉक में L.T.C. का उपभोग किया गया
है या नहीं —
 - (घ) गत ब्लॉक वर्ष (खंड वर्ष सहित) का नाम जिसमें
L.T.C. का उपभोग किया गया है —
10. एल.टी.सी. सुविधा के विरुद्ध पूरे सेवाकाल में कुल छः
अवसरों पर 10-10 दिनों (अर्थात् पूरे सेवाकाल में कुल
60 दिनों के लिए) की उपार्जित छुट्टी के बदले आदेय राशि
की सुविधा का लाभ अबतक कितनी बार लिया गया है —
11. आवेदन आसन्न नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से
समर्पित किया गया है अथवा नहीं। —

12. उन व्यक्तियों का नाम जिनके लिए L.T.C. की सुविधा दी जा रही है --

क्र.	नाम	उम्र	संबंध
1			
2			
3			
4			

13. परिवार के सदस्य, जिनके लिए एल.टी.सी. की सुविधा आवेदित है, सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं अथवा नहीं --

14. यात्रा प्रारंभ करने की संभावित तिथि/माह --

15. यात्रा करने का साधन (जैसे रेल, बस इत्यादि) --

16. अग्रिम की रकम --

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी से उपर्युक्त विवरणी सही हैं। यात्रा रद्द होने पर अग्रिम की राशि एक मुश्त वापस कर दूँगा/दूँगी।

दिनांक—

हस्ताक्षर